

**भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान**  
 प्रपत्र-3 (जीवन व भविष्य सुरक्षा)  
**(निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना हेतु आवेदन-पत्र)**  
 (प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ-साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जावें)

1. हिताधिकारी का नाम : श्री / श्रीमती / कुमारी.....
2. जन्मतिथि : (दिन / माह / वर्ष)..... आयु (वर्षों में)
3. पिता / पति का नाम (पूरा नाम लिखें): .....
4. हिताधिकारी का पता : (i) मकान संख्या ..... (ii) मोहल्ला / गाँव .....
- (iii) ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) / वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र) ..... ब्लॉक / शहर .....
- जिला .....
5. मोबाईल नम्बर : .....
6. पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि : .....
7. अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि : .....
8. पंजीयन अधिकारी का पदनाम व स्थान
9. आधार कार्ड संख्या (वैकल्पिक) (प्रति संलग्न करें) : .....
10. भामाशाह कार्ड संख्या (वैकल्पिक) (प्रति संलग्न करें): .....
11. हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण—  
 (i) बैंक का नाम ..... (ii) बैंक की शाखा का नाम .....
- (iii) खाता संख्या ..... (iv) बैंक का आईएफएससी कोड .....

**12. योजना संबंधी विवरण –**

क्र. स.	योजना का नाम	हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बैंक खाते से योजना के लिए कटौति कराई गई राशि	कटौति की तिथि	मण्डल द्वारा पुनर्भरण की जाने वाली राशि
1	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना			12.00 रुपये (शत प्रतिशत)
2	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना			165.00 रुपये (50 प्रतिशत)
3	अटल पेंशन योजना			1000.00 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक अंशदान की 50 प्रतिशत राशि

**हिताधिकारी द्वारा घोषणा**

मैं ..... (हिताधिकारी का नाम) पुत्र / पुत्री / पत्नी ..... यह घोषणा करता हूँ कि मैं निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ / रही हूँ तथा मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हूँ। मेरे द्वारा स्वयं के बैंक बचत खाते से, जिसका विवरण आवेदन पत्र में दिया गया है, आवेदन पत्र में वर्णित योजनाओं में अंशदान / प्रीमियम राशि जमा कराई गई है।

हस्ताक्षर हिताधिकारी

हिताधिकारी का नाम

13. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की चैक लिस्ट:—

1. हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति। <b>हां/ नहीं</b>	2. हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति। <b>हां/ नहीं</b>
3. हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। <b>हां/ नहीं</b>	4. हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक का संबंधित पृष्ठ, जिस पर उक्त योजनाओं के अंशदान/ प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने का विवरण अंकित हो; <b>हां/ नहीं</b>